न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

प्रकरण नं0 —39/2024

उनवान : —

रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी बिहारीपुरा तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र गुलाबसिंह जाति मेघवाल निवासी बिहारीपुरा तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी बिहारीपुरा त0 भादरा।
3. हरचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी बिहारीपुरा हाल सिवानी जिला हरियाणा।
4. शीला पुत्री ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी बिहारीपुरा त0 भादरा।
5. गंगादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी बिहारीपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थिति :— श्री चरणसिंह पूनिया **प्रार्थी**
श्री योगेश शर्मा **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 209/57 के मु0न0 63 के किला न0 24/2, मु0न0 64 के किला न0 2/1, 3/2, 4, 8, 9/1, 12/2, 13, 18, 19/1, 22/2, 23/1, 24/2, की कुल 1.9590है0 में वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 प्रत्येक का 1453/9795 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 सुभाषचन्द्र का 506/1959 हिस्सा अनुसार संयुक्त खाता की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन सीव, डोंल व माल लगान आदि को लेकर तकाजा बना रहता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 5 अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का प्रतिवादी सं0 1 से खाता व लगान अलग कायम करवाना चाहते है । इस हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 ने उक्त कृषि भूमि को बेचान करने के लिए सौदा तय कर रखा है। एवं अप्रार्थीगण सं0 1 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी जा रही है कि वह अच्छी व उपजाउ किस्म की भूमि को बेय करेगा। इसलिए प्रार्थी कानूनी अधिकारी है कि अप्रार्थीगण को बिना खाता विभाजन करवायें उक्त विवादित भूमि को खुर्द—बुर्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:10:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

... खाता की होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन सीव, डोंल व माल लगान ... तकाजा बना रहता है। अप्रार्थी सं0 1 अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को बिना ...जन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर अमादा है। ... अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त कृषि भूमि को बैचान करने के लिए सौदा तय कर रखा है। एवं ... किस्म की भूमि पर ताकत के बल पर काबिज होने के लिए उतारू है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय ... में खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद जैरकार है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित भूमि में अप्रार्थी सं0 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है और वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की है जिसके चलते कानूनन प्रत्येक ईंच पर सभी काश्तकारों का संयुक्त कब्जा माना जाता है। इसलिए प्रार्थी रामकुमार को कतई हक अधिकार नहीं है क वह किसी सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करें। इस हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के 2013(1) आरआरटी 123 के अनवान मोहरपाल आदि बनाम प्रभूसिंह आदि में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारीज किया गया और माना गया कि अप्रार्थी भूमि का रेकॉर्डेड खातेदार है और उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के 2016(1) आरआरटी 113 अनवान चावली आदि बनाम बालकी देवी आदि में भी माना गया है कि एक सह खातेदार अन्य सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं करवा सकता। अप्रार्थीगण की ओर से अन्य न्यायायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय 2020(2) आरआरटी 1122 अनवान दलीप बनाम अजय आदि, आरआरटी 2018(2) पेज 1202 प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को सव्यय खारीज करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात त... नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक ए... लिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक सम...

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वाद भूमि का खाता व लगान अलग से कायम नहीं है जिसके लिए न्यायालय हाजा में वाद जैरकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा माना जाता है। जिसके संदर्भ में माननीय अपर न्यायालयों द्वारा भी निर्णय पारित किये गये है एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के 2016(1) आरआरटी 113 अनवान चावली आदि बनाम बालकी देवी आदि में भी माना गया है कि एक सह खातेदार अन्य सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं करवा सकता। अप्रार्थीगण की ओर से अन्य न्यायायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय 2020(2) आरआरटी 1122 अनवान दलीप बनाम अजय आदि, आरआरटी 2018(2) पेज 1202 में भी अपर न्यायालयों द्वारा माना गया है कि एक सह खातेदार द्वारा अन्य सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना कानूनन उचित प्रतित नहीं होता है। अप्रार्थीगण अपनी घरेलु जरूरतों के हिसाब से विवादित भूमि के उपयोग–उपभोग के लिए स्वंतत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

... दृष्टया मामला उक्त प्रार्थना पत्र में विरूद्ध प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता

...धा का **संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं ...पूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो ...को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि विवादित आराजी संयुक्त खाता की गुश्तर्का खातेदारी होने के कारण अप्रार्थीगण भी उक्त विवादित भूमि के सह स्वामी है। अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि को विक्रय करने अथवा उसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करवा लेने से अप्रार्थीगण के हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण ... पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण पर चस्पा होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner